राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

ठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

जस्व वाद सं.– 417 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़ – वादी

बनाम

1. अन्तर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. अमरसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत ग्रांम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. अमरसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. इमराती पत्नि मोमनसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. उमेदसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. उमरावसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. उषा पुत्री श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. कलयाणसिंह पुत्र चन्दूसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. कृष्ण सिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. कौशल्या पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. ग्राम पंचायत मोरवा पंचायत समिति सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 जरिये सरपंच श्री जीतेन्द्रसिंह मोरवा संस्था के लिए।
12. ग्राम पंचायत मोरवा पंचायत समिति सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 जरिये सरपंच श्री जीतेन्द्रसिंह मोरवा संस्था के लिए।
13. गुलाबसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

14. चन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
15. छगनसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
16. जगननाथसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
17. जगमालसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
18. जयकुमारसिंह पुत्र समदरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
19. जयपालसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
20. दुर्जनसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
21. देशराज पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
22. दीपसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
23. धर्मवीरसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
24. धापा पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
25. पुजा पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
26. प्रेम पत्नि सुरजनसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
27. प्रेमदेवी पत्नि श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
28. पवनकुमारसिंह पुत्र समदरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
29. पुष्पा पुत्री श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
30. बचनसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

31. बृजलालसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
32. बिकमसिंह पुत्र श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
33. बिमलादेवी पत्नि हरिसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
34. बिशनुसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
35. भगवानसिंह पुत्र चन्दूसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
36. भंवरसिंह पुत्र नानगसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
37. भंवरी पत्नि पूर्णसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
38. मुकेश पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
39. रतनसिंह पुत्र जसूसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
40. रमेश पुत्र पुर्णसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
41. रामकुवारसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
42. रामकुवारसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
43. रामनारायणसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
44. रामप्यारी पुत्री चिमनसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
45. रामसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
46. रामसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
47. रिछपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

9

48. लाडो पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

49. लादूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

50. विकमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

51. विनोद पुत्र श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

52. शकुन्तला पुत्र श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

53. सुगनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

54. सन्तोषदेवी पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

55. सुनिता पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

56. सुनील पुत्र पुर्णसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

57. सुमन पुत्री श्योबक्ससिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

58. सुलतानसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

59. हरफूलसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

60. हरिसिंह पुत्र लादुसिंह जाति राजपूत ग्राम मोरवा, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

10

ावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक - 21/12/2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड ग्रम पचायत मोरवा पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 60 एवं अन्य केतागणों ने जवाब पेश किया जिसमें उक्त प्रतिवादियों ने स्वीकार किया की उक्त कृषि भूमि को कृषि के रूप में काम में न लेकर बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से प्लाटिंग कर इस खसरा नम्बर की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त प्रतिवादियों ने ख0न0 113,116,117,390/103 कुल रकबा 2.71 है0 की संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवा कर ग्राम पंचायत मोरवा को समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार सूरजगढ़ से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मगवायी गई जिसमें उन्होने बताया की ख0न0 113,116,117,390/103 कुल रकबा 2.71 है0 पर सघंन आबादी बसी हुई तथा मोरवा ग्राम पंचायत संरपच एवं पंचायत समिति सदस्य ने प्रार्थना पत्र पेश कर बताया की उक्त कृषि भूमि पर लगभग 40 वर्षो से आबादी बसी हुई है। मौके पर मकान, रास्त, पानी की टंकी, पेयजल पाईप लाइन व इन्टरलोकिंग सड़क बनी हुई है । वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यो के लिए काम आ रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074-77, नक्शा, फर्द मौका।

हस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान ो बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

-:: आदेश::-

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 113,116,117,390/103 कुल रकबा 2.71 हैक्टर स्थित ग्राम मोरवा तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान तथा बिजली के बिल, सरपंच एवं पचायत समिति सदस्य की प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः समस्त प्रतिवादीगण के खातेदारी हक अधिकार हजफ किया जाकर, ख0न0 113, 116, 117, 390/103 कुल रकबा 2.71 हैक्टर स्थित ग्राम मोरवा को राजहक में लिया

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

11

जाकर सिवायचक घोषित करते हुए वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूँकी प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों द्वारा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 10 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों द्वारा उक्त वर्णित भूमि को संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवाकर ग्राम पंचायत मोरवा को समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र/जवाब प्रस्तुत किया है जिससे प्रतिवादीगण/ कब्जेधारियों का कब्जा /प्रतिकूल कब्जा होना भी सिद्व होता है जिसका निस्तारण किया जाना भी आवश्यक हैं।

तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर संघन आबादी बसी हुई है एवं मौके पर पुख्ता मकानात बने हुए है तथा विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन लगे हुए है वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि अकृषि कार्य सम्बन्धी उपयोग में ली जा रही है।

खसरा नम्बर 113,116,117,390/103 कुल रकबा 2.71 हैक्टर को ग्राम पंचायत मोरवा के हक में समर्पित करने के कम में आबादी विस्तार हेतु प्रतिवादीगण/कब्जेधारी पटवारी/ग्राम पंचायत/तहसीलदार के यहॉं आवेदन करें व संबंधित कर्मचारी/अधिकारी समस्त प्रकिया विधिसम्मत, वित्तसम्मत, न्यायसम्मत तथा तर्कसंगत सुनिश्चित करते हुए गुणावगुण के आधार पर उक्त वर्णित भूमि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण की प्रकिया तथा नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को पट्टे जारी किये जाना एवं अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाहीं का निस्तारण 10 दिवस में निस्तारित करना सुनिश्चित करेगें।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/2021... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

12

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.–417 / 2021
निर्णय दिनांक :– 21/12/2021

राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादीगण तथा अन्य केतागणों की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 21/12/2021 को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

–:: आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 113,116,117,390 / 103 कुल रकबा 2.71 हैक्टर स्थित ग्राम मोरवा तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान तथा बिजली के बिल, सरपंच एवं पचायत समिति सदस्य की प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। अतः समस्त प्रतिवादीगण के खातेदारी हक अधिकार हजफ किया जाकर, ख0न0 113, 116, 117, 390 / 103 कुल रकबा 2.71 हैक्टर स्थित ग्राम मोरवा को राजहक में लिया जाकर सिवायचक घोषित करते हुए वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूँकी प्रतिवादीगण / कब्जेधारियों द्वारा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 10 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

प्रतिवादीगण / कब्जेधारियों द्वारा उक्त वर्णित भूमि को संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवाकर ग्राम पंचायत मोरवा को समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र / जवाब प्रस्तुत किया है जिससे प्रतिवादीगण / कब्जेधारियों का कब्जा / प्रतिकूल कब्जा होना भी सिद्व होता है जिसका निस्तारण किया जाना भी आवश्यक हैं।

तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर संघन आबादी बसी हुई है एवं मौके पर पुख्ता मकानात बने हुए है तथा विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन लगे हुए है वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि अकृषि कार्य सम्बन्धी उपयोग में ली जा रही है।

खसरा नम्बर 113,116,117,390 / 103 कुल रकबा 2.71 हैक्टर को ग्राम पंचायत मोरवा के हक में समर्पित करने के कम में आबादी विस्तार हेतु प्रतिवादीगण / कब्जेधारी पटवारी / ग्राम पंचायत / तहसीलदार के यहॉ आवेदन करें व संबंधित कर्मचारी / अधिकारी समस्त प्रकिया विधिसम्मत, वित्तसम्मत, न्यायसम्मत तथा तर्कसंगत सुनिश्चित करते हुए गुणावगुण के आधार पर उक्त वर्णित भूमि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण की प्रकिया तथा नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को पट्टे जारी किये जाना एवं

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

 13

अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाहीं का निस्तारण 10 दिवस में निस्तारित करना सुनिश्चित करेगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़